न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 20/19 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2019/00092

अनवान्

1. श्री देवीलाल पिता परसराम ब्राहम्ण निवासी नीलकण्ठ महादेव ढुंढिया तह. मावली।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता केला जी गुर्जर निवासी नांदोली खुर्द तह. मावली।

..................विपक्षी

उपस्थित–1. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 05.04.2021

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि गांव नान्दोली खुर्द पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 333 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी एवं अन्य के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज हो मुझ प्रार्थी के नाम पर 1/6 हिस्सानुसार अंकित है। जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी के नाम पर 1/6 हिस्सानुसार अंकित है और इसी अनुसार मौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है परन्तु विपक्षी संख्या 1 देवीलाल गुर्जर जिसका उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं फिर भी इनकी नियत में फितूर उत्पन्न हो जाने से मौके पर मुझ प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की जमीन में अनाधिकार रूप से दखलन्दाजी करता है और नाजायज रूप से कब्जा करने पर उतारू रहता है जबकि इसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए न्यायहित में विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद फरमाया जावे कि विपक्षी सं. 1 उक्त मुझ प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की 1/6 हिस्सा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न कब्जा करे और मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक अपने हिस्से व कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर परिवारजन आदि से करवा[illegible]
3. यह कि प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर मुझ प्रार्थी का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है, सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:41:08 IST
Reason: SelfAttested

संतुलन भी मेरे पक्ष में हैं क्योंकि उक्त अपने 1/6 हिस्से पर लगातार निरन्तर विपक्षी संख्या 1 की जानकारी में काबिज हो काश्त कर रहा हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है और यदि विपक्षी संख्या 1 उक्त हमारे हिस्से व कब्जे की भूमि में अनावश्यक रूप से दखलन्दाजी कर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लेगा तो इससे जो क्षति मुझ प्रार्थी को होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर विपक्षी संख्या 1 को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी।

4. यह कि प्रार्थी को विपक्षी के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण अंतिम बार दिनांक 20.06.19 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने उक्त मेरे हिस्से व कब्जे की भूमि पर अनाधिकार रूप से दखलन्दाजी कर कब्जा करने की कोशिश की और मना करने पर मारपीट करने पर उतारू हुए उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर जारी हैं।
5. अतः निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या 1 उक्त हमारे हिस्से व कब्जे एवं खातेदारी की 1/6 हिस्सा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न कब्जा करे और मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।
7. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज होकर प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी भूमि का खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन—* प्रार्थी भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:41:08 IST
Reason: SelfAttested

साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं होकर प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी कर जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। जिसका विपक्षी को कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से खातेदार काश्तकार की भूमि पर अन्य व्यक्ति को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि का वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। यदि विपक्षी को रोका नहीं गया एवं विपक्षी द्वारा प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी कर कब्जा कर लिया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। पूर्व में भी प्रार्थी के पक्ष में विरूद्व विपक्षी दिनांक 28.06.2019 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं।

10. प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए हैं। विपक्षी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं रहा एवं ना ही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से कोई खण्डन किया है इससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित है। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नान्दोली खुर्द पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 333 किता 1 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि में विपक्षी मौके की यथास्थिति बनाये रखें, प्रार्थी के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करें, प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:41:08 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली